पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड								
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाईट : **http:/www.pfcindia.com**								
सीआईएन एल65910डीएल1986जीओआई024862								
भाग I: दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाली तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण								
(लाख रूपए में								
क्र. सं.	विवरण		समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्टैंडअलोन			समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन		समेकित रूप से वर्ष को समाप्त वाले	
			31-03-2015 (अनंकेक्षित)	31-12-2014 (अनंकेक्षित)	31-03-2014 (अनंकेक्षित)	31-03-2015 (अंकेक्षित)	31-03-2014 (अंकेक्षित)	31-03-2015 (अंकेक्षित)	31-03-2014 (अंकेक्षित)
1)	प्रचालन से होने वाली आय								
	(क)	प्रचालन से होने वाली आय	633,118	628,426	544,051	2,458,561	2,077,281	2,458,949	2,077,455
	(ख)	अन्य प्रचालन आय	5,839	9,026	13,437	27,571	54,975	36,339	62,792
		प्रचालन से कुल आय	638,957	637,452	557,488	2,486,132	2,132,256	2,495,288	2,140,247
2)	व्यय								
	(क)	ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभार	419,753	414,581	350,011	1,631,139	1,354,827	1,632,367	1,355,672
	(ख)	कर्मचारी लाभ व्यय	1,942	2,100	2,197	8,581	8,511	10,147	9,656
	(ग)	मूल्यह्रास और ऋणमोचन	160	146	122	609	493	792	523
	(घ)	अन्य व्यय	310	5,702	6,366	12,528	14,098	13,295	14,699
		कुल व्यय	422,165	422,529	358,696	1,652,857	1,377,929	1,656,601	1,380,550
3)	अन्य आय और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से लाभ (1-2)		216,792	214,923	198,792	833,275	754,327	838,687	759,697

4)	अन्य आय	3,192	370	373	4,548	1,504	5,900	2,745
5)	असाधारण मदों से पहले साधारण कार्यकलापों से लाभ (3+4)	219,984	215,293	199,165	837,823	755,831	844,587	762,442
6)	असाधारण मदें	--	--	--	--	--	--	--
7)	कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (5+6)	219,984	215,293	199,165	837,823	755,831	844,587	762,442
8)	कर संबंधी व्यय	63,908	61,120	58,024	241,890	214,056	244,147	216,258
	(क) आयकर के लिए प्रावधान	68,509	61,887	66,043	250,288	208,613	252,520	210,821
	(ख) आस्थगित कर देयता / आस्थगित कर परिसंपत्ति (-)	(4,601)	(767)	(8,019)	(8,398)	5,443	(8,373)	5,437
9)	कर पश्चात साधारण कार्यकलापों से निबल लाभ (7-8)	156,076	154,173	141,141	595,933	541,775	600,440	546,184
10)	असाधारण मदें (कर संबंधी निबल व्यय)	--	--	--	--	--	--	--
11)	अवधि के लिए निबल लाभ (9-10)	156,076	154,173	141,141	595,933	541,775	600,440	546,184
12)	सहयोगियों के लाभ / (हानि) की	--	--	--	--	--	--	--

	हिस्सेदारी								
13)	अल्पसंख्यक हित		--	--	--	--	--	--	--
14)	कर पश्चात, अल्पसंख्यक हित और सहयोगियों के लाभ / (हानि) की हिस्सेदारी के बाद निबल लाभ (11+12+13)		156,076	154,173	141,141	595,933	541,775	600,440	546,184
15)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य 10 रू. है)		132,004	132,004	132,004	132,004	132,004	132,004	132,004
16)	पुनर्मूल्यांकन संबंधी आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां (31 मार्च को अंकेक्षित तुलन पत्र की स्थिति के अनुसार)		--	--	--	3,089,917	2,605,457	3,109,131	2,620,223
17)	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (रू. में)								
	(क)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों से पहले) (रू. में)	11.83	11.68	10.69	45.15	41.04	45.49	41.38
	(ख)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद) (रू. में)	11.83	11.68	10.69	45.15	41.04	45.49	41.38

भाग II : दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चुनिंदा सूचना									
क.	शेयरधारिता के विवरण								
1		सार्वजनिक शेयरधारिता:							
		शेयरों की संख्या	359,085,115	359,085,115	359,085,115	359,085,115	359,085,115	359,085,115	359,085,115
		शेयरधारिता का प्रतिशत	27.20%	27.20%	27.20%	27.20%	27.20%	27.20%	27.20%
2	प्रमोटरों की शेयरधारिता								
	(क)	बंधक / रेहन रखे गए							
		शेयरों की संख्या	--	--	--	--	--	--	--
		शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)	--	--	--	--	--	--	--
		शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के % के रूप में)	--	--	--	--	--	--	--
	(ख)	बंधक / रेहन न रखे गए							
		शेयरों की संख्या	960,955,589	960,955,589	960,955,58 9	960,955,589	960,955,58 9	960,955,58 9	960,955,589
		शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%
		शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के %	72.80%	72.80%	72.80%	72.80%	72.80%	72.80%	72.80%

		के रूप में)							
ख	निवेशकों की शिकायतें								
	विवरण			इक्विटी शेयर			कर्ज संबंधी प्रतिभूतियां		
	तिमाही की शुरूआत में लंबित			1			13		
	तिमाही के दौरान प्राप्त			89			490		
	तिमाही के दौरान निपटाई गई			89			498		
	तिमाही के अंत में अनिर्णीत			1*			5#		
				* लंबित			# जब से निपटान किया गया		
						(` लाख रूपए में)			
		स्टैंडअलोन और समेकित परिसंपत्तियों और देनदारियों (अंकेक्षित) का विवरण							
			स्टैंडअलोन		समेकित				
क.		इक्विटी और देनदारियां	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार			
1		शेयरधारकों की निधियां							
		(क) शेयर पूंजी	132,004	132,004	132,004	132,004			
		(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	3,089,917	2,605,457	3,109,131	2,620,223			
		उप जोड़ – शेयरधारकों की निधियां	3,221,921	2,737,461	3,241,135	2,752,227			

2		गैर-चालू देनदारियां							
		(क) दीर्घकालिक ऋण	16,497,346	14,249,157	16,499,541	14,249,157			
		(ख) आस्थगित कर संबंधी देनदारियां (निबल)	18,925	27,422	18,827	27,300			
		(ग) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	33,381	34,762	33,381	34,762			
		(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	96,361	47,304	96,397	47,319			
		उप जोड़- गैर चालू देनदारियां	16,646,013	14,358,645	16,648,146	14,358,538			
3		चालू देनदारियां							
		(क) दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	1,873,528	1,540,900	1,873,528	1,540,900			
		(ख) अल्पकालिक ऋण	406,441	131,449	406,441	131,473			
		(ग) अन्य चालू देनदारियां	666,015	624,400	668,972	624,886			
		(घ) अल्पकालिक प्रावधान	52,523	23,555	52,943	23,947			
		उप जोड़ – चालू देनदारियां	2,998,507	2,320,304	3,001,884	2,321,206			
		कुल – इक्विटी और देनदारियां	22,866,441	19,416,410	22,891,165	19,431,971			
ख		परिसंपत्तियां							
1		गैर-चालू परिसंपत्तियां							
		(क) स्थायी परिसंपत्तियां	6,579	7,063	10,392	7,226			
		(ख) गैर-चालू निवेश	34,728	34,834	2,380	2,360			

		(ग) दीर्घ कालिक ऋण और अग्रिम	19,784,291	16,879,211	19,793,034	16,881,619			
		(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	22,472	20,968	31,891	23,798			
		उप जोड़ – गैर चालू परिसंपत्तियां	19,848,070	16,942,076	19,837,697	16,915,003			
2		चालू परिसंपत्तियां							
		(क) चालू निवेश	50,404	383	50,404	383			
		(ख) नकदी और बैंक में बकाया राशियां	507,080	6,019	536,736	45,949			
		(ग) दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	1,631,209	1,756,475	1,631,383	1,756,555			
		(घ) अल्पकालिक ऋण	288,722	239,606	288,722	239,606			
		(ड़) अन्य चालू परिसंपत्तियां	540,956	471,851	546,223	474,475			
		उप जोड़ – चालू परिसंपत्तियां	3,018,371	2,474,334	3,053,468	2,516,968			
		कुल परिसंपत्त्यिां	22,866,441	19,416,410	22,891,165	19,431,971			
टिप्पणियां :-									
1	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी दिनांक 28.05.2015 को आयोजित की गई बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है।								
2	कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अत: भारती सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-17 के संदर्भ में अलग से कोई खंडात्मक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।								

3	कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा धन संबंधी मदों पर उनके कार्यकाल के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करने के लिए संशोधित लेखांकन मानक (एएस)-11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अंतर्गत विकल्प दिया था। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस 38056 लाख रूपए (दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस 70,921 लाख रूपए) है।
4	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए गए विभिन्न पत्राचार के अनुक्रम में विद्युत मंत्रालय को दिनांक 26.12.2014 के पत्र के जरिए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें कंपनी ने आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत बारहवीं / तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कंपनी की अपनी जनशक्ति (केवल वेतन / प्रशासनिक प्रभारों को छोड़कर दिनांक 15.07.2013 के विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र के जरिए व्यय विभाग (बीओई) द्वारा बताई गई शर्तों के अनुरूप वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति तक ही अपने दावों को प्रतिबंधित करने के लिए सहमति व्यक्त की। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 05.01.2015 के पत्र के जरिए कंपनी को यह निदेश दिया की कंपनी संशोधित प्रस्ताव के आधार पर अपना अंतिम दावा सूचित करे। कंपनी ने अपने दिनांक 02.02.2015 के पत्र के जरिए 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित बकाया दावे और दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2014 की अवधि के लिए दावे (जिसे पहले कंपनी के अन्य व्यय के रूप में दर्शाया गया था), जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने दिनांक 31.03.2015 के पत्र के जरिए अनुमोदित किया गया है, को शामिल करते हुए अपना दावा प्रस्तुत किया। तदनुसार दिनांक 31.03.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आर-एपीडीआरपी के तहत नोडल एजेंसी शुल्क के रूप में 4,276 लाख रूपए (वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 3,586 लाख रूपए तक) और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 690 लाख रूपए) की राशि प्रत्यावर्तित की है। इसके अलावा आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले व्यय के मद में 4,259 613 लाख रूपए की राशि को दिनांक 31.03.2015 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से वसूल किए जाने योग्य राशि के रूप में मान्यता दी गई है (जिसकी पूर्ववर्ती और चालू वर्ष में अन्य व्यय के रूप में अन्यथा गणना की गई है)।

5	सरकार के स्वामित्व वाली एक गैर वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी को आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों से संबंधित दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त है। आरबीआई ने अपने दिनांक 25.07.2013 के पत्र के जरिए कंपनी को दिनांक 31.03.2016 से आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाने हेतु निर्देश दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के माध्यम से केंद्र / राज्य सरकार के निकायों के लिए दिनांक 31.03.2016 तक एक्सपोजर के संबंध में क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म से छूट प्रदान की है। कंपनी विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अनुमोदित अपनी स्वयं की सर्वोच्च शर्तों का अनुपालन करती है, जिसमें (विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन, जो अभी प्रतीक्षित है, के अध्यधीन दिनांक 09.03.2015 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संशोधन शामिल हैं), अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों के पुनर्गठन / पुनर्अनुसूचीयन / पुन: मोलभाव (आर/आर/आर) के लिए शर्तें शामिल हैं, जिनके तहत (i) सीओडी से पहले दो बार पुनर्गठन, (ii) केंद्र अथवा राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त ऋणों और सरकारी विभागों को दिए गए ऋणों के लिए छूट और (iii) सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए पुनर्गठन की तरह त्याग किए बिना पुनर्भुगतान अनुसूची के विस्तार पर विचार न करने की व्यवस्था की गई है। आर/आर/आर संबंधी शर्तों के लिए आरबीआई ने कंपनी को अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई के दिनांक 23.01.2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस. सीओ. पीडी. संख्या 367 / 03.10.01 / 2013-14 में निहित अनुदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी है, साथ-ही-साथ डीसीसीओ, जिसके लिए किसी ऋण को पुनर्गठित किया जा सकता है, में विलंब की अधिकतम अवधि की अनुमति दी है। आरबीआई की आर/आर/आर संबंधी शर्तों के लागू होने से संबंधित मामले को आरबीआई के साथ उठाया गया । इस संबंध में आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के जरिए पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा परियोजना जीवनकाल विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष की अवधि अर्थात 31.03.2017 तक अपनी पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने से छूट प्रदान की है। इसके अलावा आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया है कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों के नए परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता 5% होगी और सभी उत्पादन कंपनियों के लिए 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ऐसे बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए दिनांक 31.03.2015 से 2.75% के प्रावधान के साथ प्रोविजनिंग शुरू की जाएगी, जो दिनांक 31.03.2018 तक 5% तक पहुंच जाएगी। यह प्रावधान अंकित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के अलावा किया गया है। कंपनी ने अपने दिनांक 03.07.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपने कार्यान्वयन के ढंग के बारे में सूचित किया है, जिसे कंपनी ने अपने दिनांक 27.11.2014 के पत्र के जरिए फिर से दोहराया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि उत्पादन कंपनियों को दिनांक 01.04.2015 से स्वीकृत किए गए सभी नए परियोजना ऋणों को आरबीआई की आर / आर/ आर संबंधी शर्तों के आधार पर विनियमित किया जाएगा। आरबीआई ने अपने

	दिनांक 04.02.2015 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी के इस अनुरोध की जांच की जा रही है। आर/आर/आर संबंधी शर्तों के कार्यान्वयन के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्णय लंबित होने के कारण कंपनी उपर बताए गए अनुसार कार्यान्वयन के ढंग के साथ पठित अपनी स्वयं की शर्तों का अनुपालन कर रही है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान आर/आर/आर पर सर्वोच्च शर्तों से संबंधित लेखांकन नीति को संशोधित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों पर 2.75% की दर से प्रावधान करना आवश्यक है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान अर्हता प्राप्त ऋणों पर 56,444 लाख रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार इन ऋणों में निजी क्षेत्र के लिए 20,52,491 लाख रूपए और सराकरी क्षेत्र के लिए शून्य रूपए के ऋण शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप इन पुनर्गठित ऋणों पर मानक ऋण परिसंपत्तियों के लिए मौजूदा प्रावधान पर विचार करने के पश्चात दिनांक 31.03.2015 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लाभ क्रमश: 19,545 लाख रूपए और 51,312 लाख रूपए घट गया है।
6	01 अप्रैल 2014 से परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि के दौरान रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार समय-समय पर लगाए गए अनुमान के अनुसार इनके अवशिष्ट मूल्य को घटकार परिसंपत्ति की मूल लागत पर किया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों, जिनका जीवन काल समाप्त हो गया है, के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार धारित अर्जन से 192 लाख रूपए की राशि (आस्थगित कर का निबल) प्रभारित की गई है।
7	निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 27.02.2015 को आयोजित 330वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 85% की दर से अंतरिम लाभांश अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 8.50 रूपए प्रति शेयर के लाभांश के रूप में 1,12,204 लाख रूपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा की है। इस अंतरिम लाभांश का भुगतान दिनांक 13.03.2015 को किया गया। निदेशक मंडल ने प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 6% की दर से अंतिम लाभांश अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 0.6 रूपए प्रति शेयर के लाभांश के रूप में 7,920 लाख रूपए की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

8	कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 14 अगस्त 2014 को आयोजित 322वीं बैठक में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड (हस्तांतरण के लिए धारित एसपीवी) को बंद करने का निश्चय किया है।
9	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएल) के ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स, जिसमें एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीसीएस और पीएफसी शामिल हैं, ने अपनी दिनांक 21.03.2014 को आयोजित बैठक में एनपीईएल को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए एनपीईएल के निदेशक मंडल से सिफारिश करने का निश्चय किया। कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 14 अगस्त 2014 को आयोजित बैठक में ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स की इस सिफारिश को अनुमोदित किया था। एनपीईएल को स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने एनपीईएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 219 लाख रूपए (दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 219 लाख रूपए) का निवेश किया है, जिसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2015 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान 106 लाख रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष में शून्य) की राशि का मूल्य घटने के लिए एक प्रावधान किया गया है।
10	कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुपालन में कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीति में संशोधन किया है। तदनुसार दिनांक 31.03.2015 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान क्रमश: 2,937 लाख रूपए और 11,749 लाख रूपए (गत वर्ष में 6,323 लाख रूपए, जिसमें 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 1885 लाख रूपए की सीएसआर और एसडी के मद में आरक्षित राशि का प्रत्यावर्तन शामिल है) की राशि का सीएसआर प्रावधान तत्काल उत्तरवर्ती 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत निबल कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के दो प्रतिशत की दर से किया गया है। तिमाही के दौरान 2525 लाख रूपए की राशि और दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार समाप्त वर्ष के दौरान 4990 लाख रूपए (गत वर्ष 4652 लाख रूपए) की राशि सीएसआर कार्यकलापों के लिए संवितरित की गई है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सीएसआर और एसडी प्रावधान 11,430 लाख रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 3233 लाख रूपए) रहा। इसकी गणना सीएएसआर दावों के मद में वर्ष के दौरान 3294 लाख रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 3090 लाख रूपए) की राशि का समायोजन करने के पश्चात की गई है।
11	कर संबंधी व्यय में चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान और पूर्ववर्ती वर्षों के कर संबंधी व्यय/ समायोजन शामिल हैं।

12	दिनांक 31.03.2015 को समाप्त तिमाही के आंकड़े दिनांक 31.12.2014 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों और दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलित आंकड़े हैं।	
13	संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया।	
		(एम. के. गोयल)
स्थान : नई दिल्ली		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिनांक : 28.05.2015		डीआईएन - 00239813